भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5735** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

शीर्ष समुद्रतटीय राष्ट्र के रूप में भारत

†5735. श्री अरुण भारती :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने वर्ष 2047 तक शीर्ष पांच समुद्रतटीय राष्ट्रों में अपना स्थान बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैरीटाइम विजन 2047 में किन-किन विशिष्ट पहलों की रूपरेखा तैयार की है;

(ख) सरकार की वर्ष 2047 तक पत्तन संचालन क्षमता को 1600 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़ाकर 10,000 मिलियन मीट्रिक टन करने संबंधी क्या योजना है और इस प्रयोजनार्थ आवंटित किए जा रहे निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए विधायी सुधारों के आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रीन पत्तनों और स्वच्छ ईंधन वाले पोत-निर्माण के विकास सहित समुद्री क्षेत्र में सतत् पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कौन-कौन से उपाय कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार राष्ट्रीय समुद्री नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए हितधारकों के साथ प्रभावी ढंग से परामर्श किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): सरकार की कार्यनीतिक पहल का उद्देश्य पत्तन क्षमता को लगभग 2,600 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर लगभग 10,000 एमटीपीए करके देश को 2047 तक एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस कार्यनीति का मुख्य आधार गहरे ड्राफ्ट वाले नए पत्तनों का विकास करना, मौजूदा पत्तनों के ड्राफ्ट को बढ़ाना, पत्तन क्लस्टर और ट्रांसशिपमेंट हबों की स्थापना करना, स्वचालित पत्तनों का विकास करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना और नीतिगत सहायता को बढ़ाना है।

(ग): केंद्र सरकार ने भारत की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई विधायी सुधार किए हैं, जिनमें महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021, कैबोटेज नियमों में छूट, 2018, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016, पत्तन पर निर्भर उद्योगों को वाटरफ्रंट और संबद्ध भूमि सौंपने से संबंधित नीति (कैप्टिव नीति), 2016 और महापत्तनों पर संकटग्रस्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं से निपटने संबंधी दिशा-निर्देश शामिल हैं।

(घ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) शुरू किया है जिसका उद्देश्य पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय टगबोट प्रचालनों को अपनाने को प्रोत्साहित करके कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय प्रभाव को कम से कम करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने महापत्तनों के लिए हरित सागर दिशा-निर्देश और अंतर्देशीय जलयानों के लिए हरित नौका दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जिनका उद्देश्य ज्यादा हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

(ङ): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) समुद्री नीतियों को वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन, सागरमंथन, चिंतन शिविर, बजट के बाद उद्योग सम्मेलनों और हितधारक परामर्श नीति निर्माताओं, उद्योग और जमीनी स्तर के समुदायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने जैसे उच्च स्तरीय कार्यकलापों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के अनुरूप तैयार करता है। वैश्विक समुद्री अग्रणियों के साथ नियमित बातचीत और अंतरराष्ट्रीय मंचों में भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि भारत की नीतियां वैश्विक मानकों के अनुरूप हों, जिससे देश समुद्री क्षेत्र में एक मुख्य प्रचालक के रूप में स्थापित हो।

*****